रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-11042023-245067 CG-DL-E-11042023-245067

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1604]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 10, 2023/चैत्र 20, 1945 NEW DELHI, MONDAY, APRIL 10, 2023/CHAITRA 20, 1945

No. 1604]

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2023

का.आ. 1683(अ).—जबिक, सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिश्रम की प्रदायगी के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का प्रयोग सरकारी वितरण प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है, और लाभार्थियों को सुविधाजनक और निर्बाध तरीके से उनकी हकदारियों को हासिल करने में सक्षम बनाता है और आधार किसी की पहचान साबित करने के लिए कई दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और, जबिक, भारत सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात मंत्रालय कहा गया है) असम सित राज्यों के सभी आकांक्षी जिलों और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के सभी जिलों में बालिकाओं (14-18 वर्ष) के लिए किशोरियों के लिए स्कीम (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के अधीन) (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है)का राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासन द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों (जिसे इसमें इसके पश्चात कार्यान्वयन एजेंसी कहा गया है) के माध्यम से कार्यान्वित कर रहा है; इसका उद्देश्य पोषण घटक के तहत किशोरियों (14-18 वर्ष) को उनके स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार के लिए पोषण सहायता प्रदान करना और गैर पोषण घटक के तहत उन्हें उदाहरण के लिए आयरन और फोलिक एसिड पूरक, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवा, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा और कौशल प्रदान करना है।

और जबिक, स्कीम के अधीन, कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा स्कीम और उसके तहत जारी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, **पोषण घटक के तहत पूरक पोषण** (जिसे इसमें इसके पश्चात प्रसुविधाआ कहा गया है) किशोरियों (14-18 वर्ष) को दिया जाता है;

2357 GI/2023 (1)

और जबिक, स्कीम के कार्यान्वयन में भारत की संचित निधि से किया गया आवर्ती व्यय शामिल है; अत:, अब आधार (वित्तीय एवं अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के प्रावधानों के अनुसरण में, केंद्र सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एतद्वारा निम्न प्रकार से अधिसूचित करती है, अर्थातु:-

- 1. (1) किसी भी स्कीम के अधीन लाभ प्राप्त करने के इच्छुक प्रत्येक लाभार्थी को एतद्वारा आधार नंबर का प्रमाण प्रस्तुत करना या लागू होने की स्थिति में आधार प्रमाणीकरण कराना होगा।
- (2) स्कीमों के अधीन लाभ प्राप्त करने के इच्छुक किसी पात्र लाभार्थी, जिसके पास आधार नंबर नहीं है, को आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा और आधार नामांकन आईडी प्रदान करना होगा, बशर्ते वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो और ऐसे व्यक्ति आधार हेतु नामांकन कराने के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र [सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध] में जा सकते हैं;
- (3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, स्कीम का कार्यान्वयन करने के लिए जिम्मेदार राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के विभाग को उन लाभार्थी/(र्थियों) के लिए नामांकन सुविधाएं प्रदान करना अपेक्षित है जिन्होंने अब तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है और यदि संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केंद्र स्थित नहीं है, तो स्कीम का कार्यान्वयन करने के लिए जिम्मेदार राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का विभाग यूआईडीएआई के मौजूदा रजिस्ट्रारों के समन्वय में सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा या यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान कर सकता है:

परंतु किसी लाभार्थी को आधार आवंटित किए जाने तक, ऐसे लाभार्थी को निम्नलिखित पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करने पर स्कीम के तहत लाभ दिया जाएगा, अर्थातु:-

I:18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए:

- (क) (i) यदि लाभार्थी को पांच वर्ष की आयु (बायोमेट्रिक संग्रह के साथ) के बाद नामांकित किया गया था, तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची, या बायो-मेट्रिक अपडेट पहचान पर्ची, या;
 - (ii) लाभार्थी द्वारा आधार नामांकन के लिए किए गए अनुरोध की एक प्रति; और
- (ख) लाभार्थी के निम्नलिखित पहचान दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात्: -
 - (i) जन्म प्रमाण पत्र/या उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म का रिकॉर्ड; या
 - (ii) स्कूल पहचान पत्र, स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित, जिसमें माता-पिता के नाम हों; और
- (ग) मौजूदा स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार माता-पिता या कानूनी अभिभावक के साथ लाभार्थी के संबंध के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात्:
 - (i) जन्म प्रमाणपत्र; या उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म का रिकॉर्ड; या
 - (ii) राशन कार्ड; या
 - (iii) भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य स्कीम कार्ड; या कर्मचारी राज्य बीमा निगम कार्ड; या केंद्र सरकार स्वास्थ्य स्कीम कार्ड; या
 - (iv) पेंशन कार्ड: या
 - (v) सेना का कैंटीन कार्ड; या
 - (vi) कोई भी सरकारी परिवार पात्रता कार्ड; या
 - (vii) मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज

परंतु उपरोक्त दस्तावेजों की जांच मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से उस उद्देश्य के लिए नामित अधिकारी द्वारा की जाएगी।

- 2. लाभार्थियों को सुविधाजनक लाभ प्रदान करने के लिए, स्कीम का कार्यान्वयन करने के लिए जिम्मेदार राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का विभाग, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था करेगा कि लाभार्थियों को स्कीमों के तहत आधार की जरूरत के बारे में जागरूक करने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाए।
- 3. सभी मामलों में, जहां लाभार्थियों के खराब बायोमेट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से आधार प्रमाणीकरण विफल हो जाता है, निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र को अपनाया जाएगा, अर्थात्: -
- (क) फिंगरप्रिंट की खराब गुणवत्ता के मामले में, प्रमाणीकरण के लिए आईरिस स्कैन या फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा अपनाई जाएगी, और विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से आईरिस स्कैनर या फ़िंगर ऑथेंटिकेशन के साथ फ़िंगरप्रिंट प्रमाणीकरण से निर्बाध तरीके से लाभ की प्रदायगी की व्यवस्था करेगा:
- (ख) फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन या फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सफल नहीं होने पर, जहां भी संभव और स्वीकार्य हो आधार वन टाइम पासवर्ड या टाइम-बेस्ड वन टाइम पासवर्ड द्वारा सीमित समय वैधता के साथ मान्य प्रमाणीकरण, जैसी भी स्थिति हो, की व्यवस्था की जाएगी:
- (ग) उन सभी अन्य मामलों में जहां बायोमेट्रिक या आधार वन टाइम पासवर्ड या टाइम-आधारित वन टाइम पासवर्ड प्रमाणीकरण संभव नहीं है, स्कीम के तहत लाभ भौतिक आधार पत्र के आधार पर दिया जा सकता है जिसकी प्रामाणिकता आधार पत्र पर मुद्रित त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड द्वारा सत्यापित की जा सकती है और विभाग द्वारा अपनी कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा सुविधाजनक स्थानों पर क्यूआर कोड रीडर की आवश्यक व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी।
- 4. उर्पयुक्त अंतर्विद किसी बात के होते हुए भी, किसी भी बच्चे को प्रमाणीकरण के माध्यम से अपनी पहचान स्थापित करने में विफल रहने, या आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करने में विफल होने पर, या ऐसे बच्चे के मामले में, जिसके पास कोई आधार संख्या नहीं है, स्कीम के तहत लाभों से वंचित नहीं किया जाएगा, ऐसे बच्चों को नामांकन के लिए आवेदन प्रस्तुत करते हुए, पैरा 1 के उप-पैरा (3) के उप-पैरा (ख) और (ग) के तहत खंड I (ख) और (ग) के तहत प्रदान किए गए अन्य दस्तावेजों के आधार पर उसकी पहचान की पृष्टि करके उसे लाभ दिया जाएगा, और जहां इस तरह के अन्य दस्तावेजों के आधार पर लाभ दिया गया हो, उसे दर्ज करने के लिए एक अलग रजिस्टर रखा जाएगी।
- 5. यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्कीम के तहत कोई भी वास्तविक लाभार्थी उन्हें देय लाभों से वंचित नहीं है, विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मिशन, मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं. डी-26011/04/2017-डीबीटी, दिनांक 19 दिसंबर 2017 में निर्दिष्ट अपवाद प्रबंधन तंत्र का पालन करेगा। (https://dbtbharat.gov.in पर उपलब्ध)
- 6. यह अधिसूचना सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 11/3/2022-सीडी. I]

अदिति दास राउत. अपर सचिव

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2023

S.O. 1683(E).—Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

And, whereas, the Ministry of Women and Child Development (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India, is administering the Scheme for Adolescent Girls (under Saksham Anganwadi and POSHAN 2.0) (hereinafter referred to as the Scheme) for adolescent girls (14-18 years) in all aspirational districts of States including Assam; and all districts of other North-East States, which is being implemented through State Governments and Union territory Administration through the Anganwadi Centres (hereinafter referred to as the Implementing Agency); aims at providing nutritional support to adolescent girls (14-18 years) for improving their health and nutritional status under the nutrition component and providing them Iron and Folic Acid supplementation, Health check-up and Referral service, Nutrition and Health Education and Skilling and the like under non-nutrition component of the Scheme.

And whereas, under the Scheme, **supplementary nutrition under nutrition component** (*hereinafter referred to as the benefit*) is given to the **adolescent girls** (**14-18 years**), by the Implementing Agency as per the Scheme and extant guidelines issued thereunder;

And whereas, the implementation of the Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to the said Act), the Central Government in the Ministry of Women and Child Development hereby notifies the following, namely:—

- 1. (1) an individual desirous of availing the benefits under the Scheme shall be required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.
 - (2) any individual desirous of availing the benefits under the Schemes, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar shall be required to make application for Aadhaar enrolment subject to the consent of her parents or guardians (in case of child beneficiaries), provided he is entitled to register for the Scheme provided that he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such individual may visit any Aadhaar Enrolment Centre (list available at the Unique Identification Authority of India website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar;
 - (3) as per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Ministry or Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing registrars of Unique Identification Authority of India or by becoming Unique Identification Authority of India registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, the benefit under the Scheme shall be given to such individuals, subject to production of the following documents, namely:

- I: For children below eighteen years old:
 - (a) (i) if the beneficiary was enrolled after the age of five years (with biometrics collection), his Aadhaar Enrolment Identification slip, or bio-metric update identification slip, or;
 - (ii) a copy of the request made for Aadhaar enrolment by the beneficiary; and
 - (b) any one of the following identity documents of the beneficiary, namely:
 - (i) Birth Certificate/ or Record of birth issued by the appropriate authority; or
 - (ii) School identity card, duly signed by the Principal of the school, containing parent names; and
 - (c) any one of the following documents as proof of relationship of the beneficiary with the parent or legal guardian as per the extant Scheme guidelines, namely:
 - (i) Birth Certificate; or record of birth issued by the appropriate authority; or
 - (ii) Ration Card; or
 - (iii) Ex-Servicemen Contributory Health Scheme Card; or Employees' State Insurance Corporation Card; or Central Government Health Scheme Card; or
 - (iv) Pension Card; or
 - (v) Army Canteen Card; or
 - (vi) Any Government Family Entitlement Card; or
 - (vii) Any other document as specified by the Ministry:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Ministry for that purpose.

- 2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Ministry through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through media shall be given to the beneficiaries to make them aware of requirement of Aadhaar under the Scheme.
- 3. Where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:
 - (a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication and the Ministry through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger print authentication for delivery of benefits in seamless manner;
 - (b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;
 - (c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the Ministry through its Implementing Agency.
- 4. Notwithstanding anything contained herein above, no child shall be denied benefit under the Scheme in case of failure to establish his identity by undergoing authentication, or furnishing proof of possession of Aadhaar number, or in the case of a child to whom no Aadhaar number has been assigned, producing an application for enrolment, the benefit shall be given to him by verifying his identity on the basis of other documents as provided under sub-clauses (b) and (c)of sub-paragraph (3) of paragraph 1, and where benefit is given on the basis of such other documents, a separate register shall be maintained to record the same, which shall be reviewed and audited periodically by the Ministry through its Implementing Agency.
- 5. In order to ensure that no bona fide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits, the Ministry through its Implementing Agency shall follow the exception handling mechanism as specified in the Office Memorandum of Direct Benefit Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India No. D-26011/04/2017-DBT, dated the 19th December 2017 (available on https://dbtbharat.gov.in/).
- 6. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union Territories.

[F. No.11/3/2022-CD.I]

ADITI DAS ROUT, Addl. Secy.